

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 अक्टूबर 2021—आश्विन 16, शक 1943

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संशोधित अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधि. क्र. 20-एफ-01-13-2016-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 71 में प्रकाशित नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 04, दिनांक 30 जनवरी 2018 में नगरपालिक निगम इंदौर में पार्षद के रूप में नामनिर्दिष्ट किये गये थे जिसमें राज्य शासन, एतद्द्वारा निम्नलिखित आंशिक संशोधन करता है :-

संशोधन

1. कॉलम क्र. 6 के अनुक्रमांक 5 में श्री गब्बर उर्फ वीरेन्द्र पिता भगवान सिंह रघुवंशी, 15/5, स्नेहलतागंज, इंदौर के स्थान पर श्री वीरेन्द्र पिता भगवानसिंह रघुवंशी, 15/3, स्नेहलतागंज, इंदौर पढ़ा जाये.
2. कॉलम क्र. 6 के अनुक्रमांक 6 में श्री सुरेंद्र कुरवाड़े पिता श्री मूलचंद कुरवाड़े, वार्ड नं. 27, मकान नं. 561, बजरंग नगर, इंदौर के स्थान पर श्री सुरेश कुरवाड़े पिता श्री मूलचंद कुरवाड़े, वार्ड नं. 27, मकान नं. 561, बजरंग नगर, इंदौर पढ़ा जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.